संख्या-480/2018/4028/22-2-2017-17(235)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बचन भर पुत्र श्री धनराज भर निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44240/दया0प्रो0-5/526 दिनांक 13.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बचन भर पुत्र श्री धनराज भर, जो- ग्राम-कोड़री, थाना-घनघटा, जनपद-सन्तकबीर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चोरी के विवाद में गवाही न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 20.04.78 को 09 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कट्टा, बल्लम एवं बम से मारकार 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी द्वारा चोरी के विवाद में गवाही न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 20.04.78 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कट्टा, बल्लम एवं बम से मारकार 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.1997 द्वारा दोषमुक्त् किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2004 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 12 वर्ष 00 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 06 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेटक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति,के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बचन भर (बन्दी संख्या-44615) पुत्र श्री धनराज भर निवासी जनपद-सन्तकबीरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-480/2018/4028(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीरनगर ।
2- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in